मुन्तकिली प्रकरण संख्या 45/2018 अनवानी चरणजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 2 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर **बनाम** 1. बलवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 2 सीसी तहसील पदमपुर हाल 41 बेली शिफ्ट ड्राईव सेम्पटन और एल 6 वी 2 वी कनाड़ा 2. सुखदेव सिंह पुत्र रतन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर 3. उपखण्ड अधिकारी राजस्व, पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.05.2018

प्रार्थी चरणजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह व उनके अभिभाषक श्री जगमोहन आहुजा को रूक रूक कर बार–बार आवाज लगाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये और न ही प्रार्थीगण की ओर से अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित आया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लम्बित 251(ए) आर टी एक्ट पत्रावली संख्या 14/2018 अनवानी बलवीर सिंह बनाम चरणजीत सिंह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तिकल किये जाने की प्रार्थना के साथ यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र दिनांक 10.04.2018 पेश किया गया है।

चूंकि प्रार्थीगण व उसके अभिभाषक श्री जगमोहन आहुजा को बार–बार आवाज लगाने पर उपस्थित नहीं आये है जिससे प्रतीत होता है कि अब प्रार्थीगण को अपने उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए प्रार्थीगण का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर